आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022–23/1342 दिनांक– 22/11/2022

समस्त प्राचार्य/जिला नोड़ल अधिकारी,
राजकीय महाविद्यालय राजस्थान

<u>परिपत्र</u>

विषय – राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायतों के निराकरण बाबत।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निम्न छात्रवृत्तियों/स्कूटी योजनाएं ऑनलाईन संचालित की जाती है :–

1. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना
2. देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना
3. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना
4. विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड) सम्बल योजना

प्रायः देखा गया है कि इन छात्रवृत्तियों/स्कूटी योजनाओं से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण महाविद्यालय स्तर पर निर्धारित समयावधि में नहीं किया जाता है। जिसके कारण सम्पर्क पोर्टल की शिकायतें अपने उच्च स्तर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को स्वतः हस्तांतरित हो जाती है।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा अन्य विभागों (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आदि) द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, अनुप्रति योजना और उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना आदि से संबंधित शिकायतों को आपके स्तर से सम्बन्धित विभाग को ही हस्तांतरित करे।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के सम्बन्ध में बिल बनाने एवं भुगतान संबंधी समस्त कार्यवाही नोडल महाविद्यालय स्तर से की जाती है। अतः उक्त छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण विद्यार्थियों से दुरभाष पर वार्ता करते हुए परिवादी की समस्या का निस्तारण नोडल महाविद्यालय से ही किया जावे।

शिकायतों की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए निर्देशित किया जाता है कि सम्पर्क पोर्टल को महाविद्यालय स्तर पर प्रतिदिन खोलकर प्राप्त शिकायत का अपने स्तर पर व्यक्तिशः निस्तारण की कार्यवाही करे एवं नोडल महाविद्यालय अपने जिला स्तर पर सभी सम्बन्धित महाविद्यालयों की सम्पर्क पोर्टल पर मॉनिटीरिंग कर प्राप्त शिकायतों के अविलम्ब निस्तारण हेतु उन्हें निर्देशित करे।

(हस्ताक्षर) 22.11.22
(डॉ ललिता शर्मा)
मुख्य लेखाधिकारी

क्रमांक एफ 23(79)लेखा/आकाशि/रा.सं.पोर्टल/2022–23/1343 दिनांक– 22/11/2022
प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड़ किये जाने हेतु।

(हस्ताक्षर) 22.11.22
मुख्य लेखाधिकारी